न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 314/2017/225 आरटीए

1. पवनकुमार पुत्र भगवान दास जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. पवनकुमार पुत्र भागीरथ खदरिया जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्टस

–: बनाम :–

1. रंगाराम पुत्र रामलाल जाति खत्री निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सारिका पत्नि मनीषकुमार जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. उषारानी पत्नि विनोदकुमार जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 15 हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. अन्जू बैनीवाल पत्नि राकेश बैनीवाल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 16 हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. रविन्द्र कुमार पुत्र भगवानदास जाति अरोड़ा निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. राजेन्द्र कुमार पुत्र मोतीराम जाति अरोड़ा निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. बजरंगलाल पुत्र भगवानदास जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. अनिलकुमार पुत्र भागीरथ खदरिया जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10.07.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़
प्र0सं0 26/2009 अनवानी रंगाराम बनाम सारिका आदि

उपस्थित :–
श्री ओमप्रकाश मोदी अधिवक्ता अपीलाण्ट

निर्णय दिनांक –03.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे स्थगन आदेश चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को बिना सुने अभियान के दौरान दिनांक 02.03.2009 को जारी अन्तरिम आदेश को अपीलाधीन आदेश के जरिये दिनांक 10.07.17 को ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पत्रावली मे अपीलांटस द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है अन्य अप्रार्थी के जवाब के लिए तारीख पेशी दिनांक 19.05.17

सत्यमेव जयते Web Copy Not Official

निश्चित थी। दिनांक 19.05.17 को अधिकारी राजस्व अभियान प्रशासन आपके द्वार मे होने के कारण पत्रावली पेशी मे नही आई और न्यायालय द्वारा कोई आगामी तारीख पेशी नही दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.17 को पत्रावली पेशी मे लेकर किसी भी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना पत्रावली मे विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जो काबिले खारिज है। जब पत्रावली मे अप्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है तथा उनके वकील नियुक्त है तो न्यायालय का दायित्व था कि वे पक्षकारान के वकीलो को बुलाते एवं उन्हे बहस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस एवं उनके अभिभाषकगण को सुनवाई का व बहस का कोई अवसर प्रदान नही किया। पत्रावली मे तारीख पेशी 10.07.17 निश्चित नही थी। किसी भी पक्षकार को दिनांक 19.05.17 को आगे तारीख पेशी नही दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानो की अवहेलना करके गलत व विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस द्वारा जवाब मे तथ्यों पर कोई गौर नही किया तथा जवाब को पढ़ा ही नही है। विवादित भूमि मे से अप्रार्थी सं. 8, 9 द्वारा खरीदशुदा भूमि का पेट्रोल पम्प के रूप मे (कनवर्जन) भूमि रूपान्तरण हो चुका है और मौका पर पेट्रोल पम्प चालू है। इसलिये ऐसी भूमि के संबंध मे सहायक कलैक्टर को दावा सुनने एवं निर्णय करने का अधिकार नही है। अपीलांट ने इस आशय का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दावा मे पेश कर रखा है जिसका अभी तक निर्णय नही किया गया है। विवादित भूमि अपीलांटस एवं उनके भाईयों द्वारा रेस्पो0 सं. 1 व अन्य हिस्सेदारान से जिला कलैक्टर की स्वीकृति लेकर जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा है। रेस्पो0 सं. 1 को दावा पेश करने का कोई अधिकार नही है। अपीलांट व उसके भाईयों की खरीदशुदा भूमि की बाबत अधीनस्थ न्यायालय को स्थगन आदेश जारी करने का कोई अधिकार नही है। एक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तथा तारीख पेशी से पहले राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार मे दिनांक 10.07.17 को पत्रावली पेशी मे ली जाकर पत्रावली मे अपीलांटस के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जो गलत व विधि विरूद्ध है। अपीलांटस को दिनांक 10.07.17 को उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस नही दिया गया। अपीलांट के द्वारा वकील नियुक्त किया हुआ है। विवादित प्रकरण का राजस्व अभियान प्रशासन आपके द्वार मे ली जाकर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय नही किया जा सकता। राजस्व अभियान मे केवल उन्ही प्रकरण का निर्णय किया जा सकता है जिसमे पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया हो। विवादित प्रकरण का न्यायालय मे विधि अनुसार सुनवाई करके निर्णय किया जा सकता है। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को लोक अदालत शिविर मे एकपक्षीय निर्णित नही किया जा सकता है। किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर मे ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के

अतिरिक्त किसी कैम्प मे विधि अनुसार किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण मे तो अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत मे एकपक्षीय रूप से बिना सहमति होते हुए पत्रावली का निस्तारण कर दिया जो विधिसम्मत नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.09 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी अन्तरिम आदेश पारित किया गया जिसे अपीलाधीन आदेश के जरिये लोक अदालत मे ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश पारित होने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया तथा प्रार्थना पत्र बाबत कोई विवेचना की गई। जबकि किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर मे ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प मे विधि अनुसार किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मे निस्तारित किया गया है तथा एकपक्षीय रूप से बिना सहमति पत्रावली का निस्तारण कर दिया, जो किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नही होने के कारण अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

5. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मे पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official